मीडिया सेल, गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति
कारागार प्रशासन के 02 अधिकारियों को किया गया सेवानिवृत्त

लखनऊः 28 फरवरी, 2018

सरकारी कर्मचारियों की सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 में प्रकाशित मूल नियम–56 में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थाई नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है।

प्रमुख सचिव, गृह अरविन्द कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए यह बताया कि कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार तथा कारागार मुख्यालय पर कार्यरत् शोध अधिकारी व सहायक अभियन्ता के पदों पर कार्यरत् तथा 50 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले समूह क एवं ख श्रेणी के कुल 43 कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक विगत 3 फरवरी 2018 को सम्पन्न हुयी।

श्री अरविन्द कुमार ने बताया कि समिति द्वारा सभी अधिकारियों की चरित्र पंजिका, सेवाभिलेखों, अनुशासनिक कार्यवाहियों व दण्डों तथा गोपनीय प्रविष्टियों का सम्यक परीक्षण किया गया साथ ही साथ 02 अधिकारियों क्रमशः श्री शिव प्रकाश यादव, वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार एवं श्री राम कुमार त्रिपाठी, अधीक्षक, कारागार के सम्पूर्ण सेवाकाल सहित उनके विगत 10 वर्षो के सेवाभिलेखों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किया गया तथा इनकी दक्षता व कार्य का स्तर सरकारी सेवा हेतु समुचित न पाते हुए इन्हे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने की संस्तुति की गयी जिसके आधार पर शासन द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश गत दिवस को निर्गत किया गया।

उल्लेखनीय है कि इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से दोनों अधिकारी सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनकी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

———————